<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>
<u>संख्या-90/तीस-4-2023</u>

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम/निगम, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय: पंद्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने प्रदेश के सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों को स्क्रेप कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-जी0आई0-130/तीस-4-2022, दिनांक 05.12.2022 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र द्वारा सचिव, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-आरटी-23013/1/2022-टी, दिनांक 21.11.2022 के क्रम में पद्रंह वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रेपिंग, पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों (RVSFs) के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत परामर्शीय बिन्दु तथा भारत सरकार की अधिसूचना प्रारूप जीएसआर संख्या-845(अ), दिनांक 24.11.2022 के अन्तर्गत प्रस्तावित नियम-52 (क)- ''विभिन्न श्रेणियों के सरकारी वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र का धारा-41 की उप-धारा (7) के अनुसार इस तरह के प्रमाण पत्र के तारीख से पंद्रह वर्ष बीत जाने के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ऐसे वाहनों का निपटान भी मोटर यान (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियमावली, 2021 के अनुसार स्थापित 'पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा' के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।'' के क्रम में प्रारूप संलग्न करते हुए सर्वसंबंधित से पंद्रह वर्ष एवं इससे पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों की संख्या प्रविष्ट कर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

3- उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2023 तक 'First-Come, First Served' के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन को बढावा देने के लिए राज्यों को रू0 2,000 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय लाभ के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

लिये पात्र होने हेतु राज्य सरकारों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अवश्य रूप से कार्यवाही की जानी होगी :-

(1) पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों (RVSFs) में 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रेपिंग।

(2) निक्षेप प्रमाण-पत्र के सापेक्ष क्रय किये गये वाहनों को कर में छूट प्रदान किया जाना।

(3) पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्रों (RVSFs) में स्क्रेप किये जाने वाले वाहन पर लंबित बकाया कर को एकमुश्त छूट प्रदान किया जाना।

उपरोक्त बिन्दु-2 के सम्बन्ध में परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-23/2022/1866/तीस-4-2022, दिनांक 28.11.2022 द्वारा निक्षेप प्रमाण पत्र के सापेक्ष क्रय किये गये वाहनों को कर में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान कर दिये गये हैं। बिन्दु-3 के संबंध में कार्यवाही परिवहन विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। बिन्दु-1 के संबंध में यथोचित कार्यवाही हेतु प्रदेश के समस्त विभागों निगमों/निकायों आदि में संचालित पंद्रह वर्ष एवं इससे पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों के माध्यम से स्क्रेप कराया जाना होगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग/निगम/निकाय आदि में संचालित पंद्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों के संबंध में वांछित सूचना एक सप्ताह के भीतर निम्नलिखित गूगल शीट लिंक में निर्धारित प्रारूप पर प्रविष्ट कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

Google Sheet Link -

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15965xVvYYX7JGB--r6EZBJ5tlBu75i82XyzrU85mDyQ/edit?usp=sharing

चूंकि प्रकरण भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है, अतः यह अपेक्षित है कि कृपया अपने विभाग/निगम/निकाय आदि में संचालित पंद्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग केन्द्रों (RVSFs) के माध्यम से अधिकतम 31 मार्च, 2023 तक स्क्रेप कराये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर कराना सुनिश्चित करें। पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केन्द्रों (RVSFs) की सूची परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट लिंक निम्नवत् है-

http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/Running-Scrapping-Facilities

साथ ही पंद्रह वर्ष एवं इससे अधिक पुराने सरकारी/अर्द्ध-सरकारी वाहनों को स्क्रेप कराये जाने की संभावित समयसीमा का भी गूगल शीट लिंक पर उपलब्ध प्रारूप पर प्रविष्ट कराना सुनिश्चत करें, ताकि उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कराते हुए भारत सरकार की विशेष सहायता योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 90/तीस-4-2023 समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- स्टाफ आफिसर/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रकरण की समयबद्धता/तात्कालिकता के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बंधित से उपरोक्तानुसार सृजित गूगल शीट लिंक पर अपेक्षित सूचनाओं को प्राप्त कर संकलित/समेकित करते हुए सूचना की प्रति सीधे भारत सरकार को प्रेषित करने एवं उक्त सूचना की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।